HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 837/2025

Ramkishan @ Kishan Singh Son Of Late Pohachi @ Pohab Singh

----Appellant

Versus

Smt. Ratan Devi Wife Of Late Thansingh,

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Dushyant Jain
For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

19/12/2025

अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से यह सिविल प्रथम अपील विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.11.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/वादीगण का वाद विभाजन का डिक्री किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है।

सुना गया।

अपील को सुनवाई के लिए ग्राह्य किया जाता है।

प्रत्यर्थीगण/वादीगण को अपील एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र के नोटिस प्रक्रियानुसार जारी हों।

अभिलेख तलब हो।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रकट किया कि प्रत्यर्थी/वादी संख्या–1 व 2 के अलावा शेष प्रत्यर्थीगण की तामील जारी करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी तामील से उन्मुक्ति प्रदान की जावे।

प्रार्थनानुसार उनके जोखिम एवं दायित्व के अधीन प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 के अलावा शेष प्रत्यर्थीगण की तामील से उन्मुक्ति प्रदान की जाती हैं, उन्हें नोटिस जारी नहीं किए जावें।

अंतरिम स्थगन पर सुना गया।

RAJASTHAN HIGH COURT

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आगामी तिथि तक इस आशय का अंतरिम आदेश पारित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में इस प्रकरण में कोई अंतिम डिक्री पारित नहीं की जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL/13